# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय–छोटीसादडी

बइजलास श्री –दिनेश कुमार मण्डोवरा–आर0ए0एस0,उप खण्ड अधिकारी,छोटीसादडी

प्रकरण संख्या 36/2016 वाद

दिनांक– 12.6.18

1–हीरालाल पिता रतनलाल जाति ऑजना पेशा–काश्त निवासी राजूखेडा तहसील–छोटीसादडी के उत्तराधिकारी 1/1 गणपतलाल पिता हीरालाल ऑजना
1/2 श्रीलाल पिता हीरालाल जाति ऑजना निवासी राजूखेडा तहसील छोटीसादडी
1/3 तुलसीराम पिता हीरालाल जाति ऑजना निवासी राजूखेडा तहसील छोटीसादडी
1/4 धापूबाई पत्नि हीरालाल जाति ऑजना निवासी राजूखेडा तहसील छोटीसादडी
1/5 शान्तिबाई पुत्री हीरालाल जाति ऑजना निवासी राजूखेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ–राजस्थान

–––––वादीगण

–––––बनाम –––––

1–कंचनबाई पत्नि स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
2– मीराबाई पत्नि स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
3– नेपालसिंह पिता स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
4–बुलाकबाई पिता स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
5–पंकज पिता स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
6–भारती पुत्री स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
7–राजूबाइ पुत्री स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
8–सरीताबाई पुत्री स्व0 बद्रीलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी
9–सोनीबाई पत्नि स्व0 नाथूलाल जाति ऑजना आयु–वयस्क निवासी–बरकटी तहसील–छोटीसादडी
10–राजस्थान सरकार जरीये भूमिधारी तहसीलदार छोटीसादडी

––––––––प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88–53–188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

## निर्णय

प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी हीरालाल पिता रतनलाल ऑजना ने एक वाद अर्न्तगत धारा 88–53–188 रा0 का0 अधि0 के अर्न्तगत दिनांक 25–1–2016 को प्रस्तुत किया तथा वादपत्र में कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात मौजा स्वरूपगंज तहसील छोटीसादडी में स्थित है जिसके आराजियात नम्बर 48 रकबा 2–11 हैक्टयर आराजी नम्बर 49 रकबा 0–15 है0 आराजी नम्बर 50 रकबा 0–11 है0 आराजी न0 56 रकबा 0–56 है0 आराजी न0 90 रकबा 0–12 है0 आराजी न0 91 रकबा 0–02 है0 आराजी न0 92 रकबा 0–16 है0 आराजी न0 98 रकबा 0–25 है0 आराजी न0 99 रकबा 0–31 है0 आराजी न0 100 रकबा 0–31 है0 आराजी न0 101 रकबा 1–11 है0 आराजी न0 150 रकबा 0–31 है0 आराजी न0 173 रकबा 0–06 है0 आराजी न0 173/524 रकबा 0–31 है0 आराजी न0 174 रकबा 0–43 है0 आराजी न0 175 रकबा 0–04 है0 आराजी न0 176 रकबा 0–12

क्त आराजियात प्रतिवादीगण एक व दो के श्वसुर तथा प्रतिवादीगण कमांक नौ के पति था प्रतिवादी कमांक 3 लगायत 8 के दादा जी स्वर्गीय नाथूलाल पिता नानूराम जी ाँजना निवासी बरकटी पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील छोटीसादडी के नाम दर्ज रेकार्ड थी तत्पश्चात विरासत से वादग्रस्त आराजियात नाथूलाल के पुत्र बद्रीलाल ाँजना व उनकी पत्नि सोनीबाई के नाम जरीये नामान्तरणकरण संख्या 388 दिनांक 17-1-2013 दर्ज की गई ।

वादपत्र में वादी ने उल्लेख किया है कि वादी द्वारा साबीक आराजी नम्बर 106 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा जिसके वर्तमान आराजी कमांक 150 रकबा 0-31 है0 है। को जरीये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 9-6-1982 से विकय धन 9,500/-रूपये स्वर्गीय नाथूलाल को अदा कर मौके पर वादी ने कब्जा प्राप्त किया तब से वादी कयशुदा आराजी पर शान्तिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी मे बीड से चारा आदि काट कर अपने उपयोग व उपभोग में लता चला आ रहा हे। वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कयशुदा आराजी का स्वामी खातेदार हो चुका हे। चूँकि वादी द्वारा आराजी कय करने के समय भू-प्रबंधकिय कार्य चल रहा था । भूप्रबंधकिय अधिकारी व कर्मचारी की त्रुटी के कारण वादी द्वारा कय की गई आराजी का नामान्तरणकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया इस कारण उक्त कय शुदा आराजी पुनः प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है इसी कारण प्रतिवादीगण हमेशा वादी से आये दिन कभी पेशी को लेकर तथा आराजियात अपने नाम पर होने के नाम पर हमेशा कयशुदा आराजी को अन्य को विकय कर देने की धमकी देते है व लडाई झगडा करते है इस कारण प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे एव वादी द्वारा कयशुदा आराजी जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है को जमाबन्दी मे से विलोपित करने की घोषण कराई जावे तथा सहायता के तौर पर वादग्रस्त साबीक आराजी नम्बर 106 वर्तमान आराजी कमांक 150 रकबा 0-31 है0 मौजा बरकटी पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील छोटीसादडी को वादी के एक मात्र खातेदारी स्वामी होने की घोषणा कराई जावे तथा वर्तमान जमाबन्दी संख्या 96 मौजा बरकटी प0ह0स्वरूपगंज मे अंकित आराजी नम्बर 150 रकबा 0-31 है0 मे प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की आन0 150 रकबा 0-31 है0 किसी भी प्रकार प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण बय बखक्षिश नही करे करावे तथा कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करे करावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया दिनांक 25-8-2016 को वादी हीरालाल के अधिवक्ता की ओर से वादी की मृत्यु हो जाने तथा उनके स्थान पर उत्तराधिकारीगण को रिकार्ड पर लिये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया गया एवं वादी द्वारा संशोधित शिर्षक उसी दिन प्रस्तुत कर दिया गया तथा प्रतिवादीगण को जरीये सूचना पत्र तलब किया गया दिनांक 3-4-2017 को प्रतिवादी कमांक 5 पंकज की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र साहू ने अण्डरटेकिग प्रस्तुत की तथा अन्य प्रतिवादीगण को जारी किये गये पंजीकृत सूचना पत्र इस आशय के साथ लौट कर आये की प्राप्त कर्ता ने सूचना पत्र लेने से इन्कार किया प्रतिवादी कमांक 5 की ओर से दिनांक 11-4-2017 दिनांक 27-4-2017 दिनांक 29-6-2017 दिनांक 7-9-2017 तक कोई अधिकार पत्र व जबाव दावा प्रतिवादी कमांक 5 की ओर से प्रस्तुत नही किया गया इस पर पुनः वकील पत्र व जबाब दावा प्रस्तुत करने का न्यायालय द्वारा समय दिया गया अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थिती दर्ज नही कराई गई ।न्यायालय द्वारा न्यायालय समय समाप्ति तक आवाज दिलाई गई किन्तु कोई अधिवक्ता या पक्षकार उपस्थित नही होने के कारण उपरोक्त पक्षकारो के विरूद्व एक तरफा कार्यवही अमल में लाई गई । प्रतिवादी कमांक 5 द्वारा पुनः दिनांक 12-9-2017 दिनांक 18-9-2017 दिनांक 22-9-2017 दिनांक 25-9-2017 दिनांक 14-11-2017

ादी उपस्थित नही होने से साक्ष्य हेतु प्रकरण दिनांक 15–2–2018 को नीयत की गई ादी की ओर से साक्षी श्रीलाल दिनांक 15–2–2018 को उपस्थित होकर शपथपूर्वक कथन किया की मेरे पिता हीरालाल जी ने नाथूलाल पिता नानुराम जी ऑजना निवासी रकटी से एक बीघा आठ बिस्वा जमीन पंजीकृत विकय विलेख के माध्यम से कय की ी जिसकी नाथूलाल जी ने पंजीकृत भी कराई थी जो प्रदर्श–1 है ।मेरे पिता ने जो आराजी खरीदी है उसके पुराने नम्बर 106 रहे है। कय करने के पश्चात भूप्रबंधकिय कार्यवाही होने से उक्त आराजी का नामान्तरणकरण मेरे पिता के नाम नही हो पाया है इस कारण मेरे पिता ने दावा पेश किया है मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी हे। कयशुदा जमीन पर मेरे पिता व मेरा व मेरे भाई का कब्जा हे। मैने जमाबन्दी संवत्2027 से 2030 तक पेश की है जो प्रदर्श–2 है मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रदर्श–3 है नकल जामाबन्दी 2067 से 2070 प्रदर्श–4 व 5 हे। मेरे पिता ने जिससे कय की थी उनकी मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारीगण का नाम वर्तमान जमाबन्दी में चढ गये है इस कारण वर्तमान जमाबन्दी की आराजी नम्बर 150 मे से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर हमारे नाम पर दर्ज की जावे। वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहा । साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण मे बहस सुनी गई । वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तादेजी साक्ष्य के विपरीत किसी भी प्रकार खण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई हे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यो को वादी ने पूर्ण रूप से अपनी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तादेजी साक्ष्य से सिद्व किया है किन्तु वादी ने बॅटवारे के बाबत् अपनी साक्ष्य में कोई कथन नही किया है इस कारण बॅटवारे की सहायता प्रदान किया जाना उचित नही समझता हूँ । इस कारण वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हे।

## आदेश

वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त साबीक आराजी नम्बर 106 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा वर्तमान आराजी नम्बर 150 रकबा 0–31 है0 हैक्टयर लगानी 0–71 मौजा बरकटी पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील छोटीसादडी को वादीगण के खातेदारी की घोषणा की जाती हे तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की उक्त आराजी मे से प्रतिवादीगण के नाम विलोपित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से भी पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे में किसी भी प्रकार प्रतिवादीगण दखलअन्दाजी नही करे करावे । पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। इसी अनुसार डिक्री पृथक से जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ–राज0